न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 33/2018/अपील

रामचन्द्र पुत्र हनुमानदास जाति स्वामी निवासी पलसाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार पलसाना

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2018 मु.न. 03/2018 अनुवानी सरकार बनाम रामचन्द्र वगै0 द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार पलसाना

वकील अपीलांट श्री सोहनलाल

निर्णय **दिनांकः–05.07.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पलसाना द्वारा ख0 न0 2367/4119 रकबा 0.50 है0 मे से 0.30 है0 एवं ख0 न0 2327 रकबा 0.15 है0 मे से 0.15 है0 पर, कुल किता 0.45 है0 चारागाह भूमि पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट के नाम धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई हेतु तारीख पेशी दिनांक 08.02.2018 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 08.02.2018 को अपीलांट जरिये अधिवक्ता विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब एवं साक्ष्य सबूत हेतु 15 दिवस का अवसर चाहा गया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को उचित समय नही देते हुए दिनांक 15.02.2018 नियत कर दी गयी थी। दिनांक 15.02.2018 अपीलांट की ओर से जवाब पेश करते हुए अधिनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि उक्त भूमि का मुंतकिल निशान से सीमा ज्ञान करते हुए अपीलांट को अतिक्रमण के बारे मे अवगत कराया जावे, अगर अपीलांट का कब्जा चारागाह भूमि पर आता है तो अपीलांट स्वयं ही हटा लेगा। लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। भूमि ख0न0 2367/4119 रकबा है0 मे से 0.30 है0 वाके ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर पर अपीलांट का कब्जा बताया गया जबकि भूमि ख0 न0 2367/4119 चारागाह का अस्तीत्व मे ही नही है। पटवारी हल्का पलसाना कि रिपोर्ट एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पलसाना के रिकार्ड से यह प्रतीत होता है कि उक्त कार्यवाही मात्र अपीलांट को दोषी साबित करते हुए राजनैतिक द्वेषता रखते हुए अपीलांट को हैरान एवं परेशान करना चाहते है। भूमियॉ ख0न0 2367/4819 रकबा 0.50 है0, ख0न0 2327 रकबा 0.15 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन मे अवस्थित है जो अपीलांट की भूमि ख0न0 2329, 2330, 2331, 2332 वाके ग्राम बधाला की ढाणी तन पलसाना जिला सीकर के पश्चिम दिशा मे अवस्थित है। अपीलांट उक्त चारागाह भूमि का मात्र सीवं जोड़ खातेदार पडोसी है। भूमि ख0न0 2367/4119 रकबा 0.50 है मे से 0.30 है0 जो वर्तमान मे किसी भी चारागाह भूमि मे शामिल नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के जवाब मे

प्रस्तुत तथ्यों का अपने निर्णय मे विवरण नही किया गया तथा न ही अपीलांट को किसी भी तरह की सुनवाई साक्ष्य सबूत प्रस्तुति का अवसर दिया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मनमाने रूप से पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर गैरसायलान को अनुपस्थित दिखाया गया है, जबकि अपीलांट का जरिये अधिवक्ता जबाव प्रस्तुत किया गया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पलसाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश ग्राम पलसाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2367/4119, 2327 के सम्बंध में पारित किया है। ग्राम पलसाना में खसरा नम्बर 2367/4119 अस्तित्व में ही नहीं है एवं उक्त खसरा नम्बर पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर बेदखली आदेश पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों एवं बहस के आधार पर खसरा नम्बर 2367/4119 के सम्बंध में नायब तहसीलदार पलसाना से रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार पलसाना से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.04.2019 में अंकित किया गया है कि "पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन पटवारी पलसाना द्वारा ग्राम पलसाना के खसरा नम्बर 2327 व 2367/4119 किता 2 रकबा 2.65 है0 किस्म चारागाह की अतिक्रमण की धारा 91 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तद्नुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अनुसार विधिवत कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया। ग्राम पलसाना में खसरा नम्बर 2367/4119 जमाबन्दी व नक्शे में दर्ज नहीं है। अतिक्रमी की खातेदारी के पास खसरा नम्बर 2327 के साथ खसरा नम्बर 2367/4819 रकबा 0.50 है0 चारागाह भूमि रेकार्ड व नक्शे में दर्ज है।" अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ग्राम पलसाना में भूमि खसरा नम्बर 2367/4119 रकबा 0.50 है0 किस्म चारागाह में से 0.30 है0 एवं खसरा नम्बर 2327 रकबा 0.15 है0 किस्म चारागाह में से 0.15 है0 पर रामचन्द्र, लक्ष्मणकुमार पि0 हनुमानदास सरोज पुत्री हनुमानदास जाति स्वामी निवासी नारायण का बास का अतिक्रमण होना अंकित किया गया है। हल्का पटवारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार पलसाना द्वारा प्रकरण दिनांक 18.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम आदेशिका में ग्राम पलसाना की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2367/4119, 2327 पर श्री रामचन्द्र पुत्र हणमानदास का अतिक्रमण होने बाबत अंकित किया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पलसाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.2018 में केवल मात्र अपीलार्थी का अतिक्रमण होने एवं बेदखल किये जाने हेतु लिखा गया है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा किस खसरा नम्बर पर अतिक्रमण कर रखा है, इस सम्बंध में कहीं अंकित नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका बेदखली रिपोर्ट दिनांक 14.03.2018 में ग्राम पलसाना के खसरा नम्बर 2367/4819 रकबा 0.50 है0 व 2327 रकबा 0.15 है0 चारागाह पर से अतिक्रमी रामचन्द्र पुत्र हणमानदास स्वामी द्वारा किये गये अतिक्रमण की तारबन्दी खुलवाया जाकर मौके से बेदखल किये जाने बाबत उल्लेखित किया हुआ है। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पत्रावली का सरसरी गौर किये जाने मात्र से यह तथ्य सामने आया है कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पलसाना द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम

पलसाना की भूमि खसरा नम्बर 2367/4119 रकबा 0.50 है0 किस्म चारागाह में से 0.30 है0 एवं खसरा नम्बर 2327 रकबा 0.15 है0 किस्म चारागाह में से 0.15 है0 पर रामचन्द्र, लक्ष्मणकुमार पि0 हनुमानदास सरोज पुत्री हनुमानदास जाति स्वामी निवासी नारायण का बास का अतिक्रमण होने से अतिक्रमियों को मौके से बेदखल किये जाने बाबत निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पलसाना की रिपोर्ट दिनांक 10.04.2019 के मुताबिक उपरोक्त खसरा नम्बर 2367/4119 ग्राम पलसाना की जमाबन्दी व नक्शे में दर्ज नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं रिपोर्ट 10.04.2019 में भिन्नता प्रकट होती है। यंहा तक कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली हेतु पारित निर्णय में खसरा नम्बर तक का अंकन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पलसाना द्वारा प्रकरण संख्या 03/2018 अनुवानी सरकार बनाम रामचन्द्र वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार पलसाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में हल्का पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक से रिपोर्ट ली जाकर एवं राजस्व रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन कर अतिक्रमण के सम्बंध में सीमाज्ञान कर गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/7/19

(जय प्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर